भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2214
सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

निजी क्षेत्र में जेंडर आधारित आय का अंतर

2214. श्रीमती मेनका संजय गांधीः
श्री फिरोज़ वरुण गांधीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र में श्रमिक बल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत वित्तीय वर्षों की तुलना में उक्त संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में पुरूषों और महिलाओं की आय में विषमता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के महिलाओं की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर नीचे दी गई हैं:

महिला श्रम बल भागीदारी दर	
सर्वेक्षण*	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	23.3%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	27.4%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षणों में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

विभिन्न कार्य-पद्धतिओं के अपनाए जाने के कारण, उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणाम तुलनीय नहीं हैं। तथापि, ये परिणाम वर्ष-दर-वर्ष गिरती हुई महिला श्रम बल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। यह गिरावट शिक्षा में महिलाओं के उच्चतर भागीदारी स्तर, प्रवास आदि जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को स्तन-पान हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है।

*****